INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UK34425627359387T**
Certificate Issued Date	:	31-Jul-2021 11:17 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1274704/ RISHIKESH/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK127470472791780128939T
Purchased by	:	SDM GOVT PG COLLEGE DOIWALA DEHRADUN
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SDM GOVT PG COLLEGE DOIWALA DEHRADUN
Second Party	:	SWAMI RAMA HIMALAYAN UNIVERSITY JOLLYGRANT D DUN
Stamp Duty Paid By	:	SDM GOVT PG COLLEGE DOIWALA DEHRADUN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

श्री मति ममती बिष्ट
स्टाम विक्रेता

---Please write or type below this line---

यह समझौता ज्ञापन आज दिनांक 1 अगस्त, 2021 को

शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून (एतदोपरान्त 'प्रथम–पक्ष' या 'महाविद्यालय' से सम्बोधित) द्वारा डा0 डी0सी0 नैनवाल, प्राचार्य ।

एवं

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, पोस्ट ऑफिस जौलीग्रांट देहरादून (एतदोपरान्त 'द्वितीय–पक्ष' या 'विश्वविद्यालय' से सम्बोधित) द्वारा डा0 सुशीला शर्मा , कुलसचिव।

के मध्य निष्पादित किया जा रहा है।

(इस समझौता ज्ञापन में जहां–जहां प्रथम पक्ष/महाविद्यालय और द्वितीय पक्ष/विश्वविद्यालय आया है, उससे उसका तात्पर्य उसके प्रबंधक, प्रशासक, हित प्रतिनिधि, अन्तरिती तथा स्थानान्तरी से लगाया जायेगा व समझा जायेगा)

Swami Rama Himalayan University
Registrar

(Dr. D. C. Nainwal)
Principal
S.D.M. Govt. (PG) College, Doiwala,
Dehradun (Uttarakhand)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला एक संक्षिप्त परिचय

शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून जनपद के डोईवाला कस्बे में यू0 जी0 सी0 के 2 (f) एवं 12 (B) के अंतर्गत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल से संबद्ध हैं । यह महाविद्यालय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के 08 परम्परागत विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं मनोविज्ञान विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। यह महाविद्यालय डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। महाविद्यालय में 64 प्रतिशत छात्राऐं एवं 36 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से अध्ययनरत है। इनमें एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राऐं अध्ययनरत है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 100–100 यूनिट की दो इकाइयां है जो सायुदायिक जागरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में एक–एक सप्ताह के नियमित शिविर लगाती है। इन शिविरों में सामाजिक सरोकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी जानकारी आदि कार्यो को सम्पादित किया जाता है।

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट देहरादून का एक संक्षिप्त परिचय

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा–2(एफ) के अंतर्गत उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12, वर्ष 2013 द्वारा की गयी है। विश्वविद्यालय की स्थापना आयुर्विज्ञान, दन्त विज्ञान, सम्बन्ध स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मेसी, नर्सिंग, प्रबन्धन पाठ्यक्रम, विज्ञान, अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रैद्योगिकी, ग्राम्य विकास, मानविकी, विधि, योग विज्ञान और उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से संबन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रायोजित संस्था, "हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट", देहरादून, जो की सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत संस्था है, की सहभागिता के साथ मानव जाति के लाभ एवं कल्याण के उद्देश्य से समाजिक गतिविधियों/कार्यों में अपना योगदान दिया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य

उत्तराखण्ड के प्रतिष्ठित एवं अग्रणी विश्वविद्यालय स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के समीप स्थित इस महाविद्यालय में वर्तमान में 1600 (सौलह सौ) से अधिक छात्र–छात्राऐं अध्ययनरत हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों के कार्य निर्वहन के उद्देश्य से प्रथम पक्ष, विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निम्नवत् योगदान/सहयोग करेगा।

1 समाजिक कार्यों में मानव संसाधन के रूप में छात्र–छात्राओं का योगदान ।
2 सामुदायिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में भागीदारी कर समाज में जागरूकता कार्यक्रम ।
3 छात्र–छात्राओं द्वारा रक्तदान शिविरों में रक्तदान हेतु स्वैच्छिक भागीदारी ।
4 राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ संबंधी जागरूकता।
5 संक्रमित रोगों से बचाव के लिए ग्रामीणों में जागरूकता।
6 कोरोना जैसी माहमारी से बचाव हेतु जनमानस में जागरूकता।
7 महामारी एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान स्वास्थ हेतु मनोवैज्ञानिक सलाह, परामर्श तथा बचाव कार्य में योगदान।
8 विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित शैक्षणिक गतिविधियों में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों की भागीदारी ।

Registrar

(Dr. D. C. Nainwal)
Principal
S.D.M Govt. (PG) College, Doiwala,
Dehradun (Uttarakhand)

9 समय–समय पर महाविद्यालय परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण/रोग निदान हेतु द्वितीय पक्ष का योगदान।

नियम एवं शर्तें

1 यह कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्षों के मध्य किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन अंतर्वलित नहीं होगा।

2 यह कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सम्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि/समाजिक कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत् किसी भी छात्र–छात्रा को उसकी इच्छा के विरूद्ध सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि कोई छात्र–छात्रा किसी भी कार्य में योगदान/सहयोग प्रदान करने हेतु इच्छुक होगा, तो उस छात्र–छात्रा से सहमति–पत्र (यदि छात्र–छात्रा नाबालिग है तो उसके अभिभावक से सहमति–पत्र) प्राप्त किया जायेगा कि "वह अपने समाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से समाजिक कार्यों में योगदान/सहयोग देने हेतु अपने स्वस्थ शरीर एवं चित्त से अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा है। दोनों पक्षों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं हो। द्वितीय पक्ष द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समुचित मानकों के अनुरूप ही विद्यार्थियों को किसी गतिविधि में योजित किया जायेगा। तदोपरान्त उक्त कार्य के निष्पादन में उसको किसी भी प्रकार की हानि/क्षति होती है, तो उक्त हेतु द्वितीय पक्ष (विश्वविद्यालय) किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 यह कि प्रथम पक्ष के छात्र–छात्रायें एवं अन्य प्रतिनिधि, सरकार/विश्वविद्यालय/अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी भी गतिविधि/समाजिक कार्य के संबंध में लागू किये गये नियमों/ दिशा–निर्देश आदि का कड़ाई से अनुपालन करेंगें। किसी भी गतिविधि/समाजिक कार्य के विषय में संबंधित प्रधिकारी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा समय–समय पर लागू किये गये सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

4 यह कि यदि किसी भी गतिविधि/समाजिक कार्य में प्रथम पक्ष के छात्र–छात्रायें द्वितीय पक्ष को योगदान/सहयोग प्रदान करते हैं, तो प्रथम पक्ष द्वारा उक्त छात्र–छात्राओं के साथ महाविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों को प्रयाप्त संख्या में भेजा जायेगा, ताकि छात्र–छात्राओं द्वारा आवश्यक अनुशासन बनाकर रखा जाये।

5 यह कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किसी भी गतिविधि के सम्पन्न होने के पश्चात् यदि किसी बौद्धिक सम्पदा या डाटा आदि का सृजन होता है, तो उक्त बौद्धिक सम्पदा या डाटा आदि पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार होगा।

6 यह कि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत होने वाली किसी भी गतिविधि/समाजिक कार्य के संबंध में किसी समाचार पत्र/न्यूज चेनेल या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई सूचना/प्रेस विज्ञप्ति तथा अन्य प्रकाशन सामग्री द्वितीय पक्ष की पूर्व सहमति के बिना जारी नहीं करेगा।

7 यह कि किसी भी समाजिक कार्य हेतु यदि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के छात्र–छात्राओं से योगदान/सहयोग प्राप्त किया जाता है, तो प्रथम पक्ष के छात्र, छात्राओं, अधिकारियों तथा शिक्षकों के खाने–पीने/ठहरने/परिवहन आदि की व्यवस्था (यदि आवश्यकता हो तो) प्रथम पक्ष (महाविद्यालय) द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार द्वितीय

Registrar

(Dr. D. C. Nainwal)
Principal
S.D.M. Govt. (PG) College, Doiwala,
Dehradun (Uttarakhand)

पक्ष के कर्मचारियों एवं अन्य प्रतिनिधियों के खाने–पीने / ठहरने / परिवहन आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

8 यह कि प्रथम पक्ष / महाविद्यालय में अध्ययनरत् सभी छात्र–छात्रायें, महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / केन्द्र तथा राज्य सरकार या अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

9 यह समझौता ज्ञापन समाजिक गतिविधियों / कार्यों की परिपूर्ति हेतु दो स्वतंत्र संस्थाओं के मध्य निष्पादित किया गया है तथा किसी भी पक्ष को यह अधिकार नहीं होगा कि वह स्वयं को दूसरे पक्ष के एजेंट, प्रतिनिधि, साझेदार, संयुक्त–उद्यम भागीदार,, नियोक्ता या कर्मचारी आदि के रूप में प्रस्तुत करे। पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष के नाम, चिहन या किसी बौद्धिक संपदा का उपयोग नहीं करेगा।

10 यह कि इस समझौता ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों का दोनों पक्षों द्वारा अक्षरतः अनुपालन किया जायेगा।

11 यह कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इस समझौता ज्ञापन में किसी नवीन शर्त को जोड़ा जा सकेगा।

12 यह कि दोनों पक्ष स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों पर वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग करेंगे जिसके लिए यह समझौता ज्ञापन किया गया है।

13 यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त विवाद को दोंनो पक्षों की आपसी सहमति से सुलझाया जायेगा। किसी भी प्रकार के विवाद को मात्र देहरादून में स्थित न्यायालयों को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

14 यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने से पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। कोई भी पक्ष अगर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करना चाहें तो वह दूसरे पक्ष को एक माह का अग्रिम नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।

अतः आज दिनांक 1 अगस्त, 2021 को स्थान देहरादून में यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित गवाह के समक्ष अंकित एवं हस्ताक्षरित किया जा रहा है ताकि ज्ञात रहे और समय पर काम आये।

प्रथमपक्ष / महाविद्यालय

1/8/2021

(Dr. D. C. Nainwal)
Principal
S.D.M. Govt. (PG) College, Doiwala,
Dehradun (Uttarakhand)

(डा0 डी0सी0 नैनवाल)
प्राचार्य
शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डोईवाला
जिला देहरादून

द्वितीयपक्ष / विश्वविद्यालय

1/8/21

Swami Rama Himalayan University
Registrar

(डा0 सुशीला शर्मा)
कुलसचिव
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय
स्वामी राम नगर, पो0ओ0 जौली ग्रांट,
देहरादून

साक्षीगण–

1. D. N. Tiwari

2. Sandeep Badhani

2. Rakhi Panchola Raunchdy

Suresh Pant